—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 178/2024

उनवान

1. नौसर पुत्री माना जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद
—–वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रेम पत्नी लादू
2. मंजू पुत्री लादू
3. संगीता उर्फ सोनू पुत्री लादू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद
4. उप पंजीयक, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित, 4 व 5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 11.9.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी के हाल खसरा नम्बर 263/1409 वादी के नाम व खसरा नम्बर 265 व 271 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 265 व 271 विभाजन के समय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये। जबकि मौके पर खसरा नम्बर 265 व 271 पर वादी का काबिज है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर दखलदांजी कर रहे है तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम की नही गयी।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख पेश किये व प्रकरण में [illegible] पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. [illegible]कार की बहस पर मनन किया। ग्राम अंसार के हाल खसरा नम्बर 265 व 271 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम तथा हाल खसरा नम्बर 263/1409 वादी के नाम जमाबंदी मे[illegible]तेदारी दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 265 व 271 की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में उक्त

—–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर न्यायालय आदेश के द्वारा नामान्तकरण संख्या 815 दिनांक 8.7.24 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हुआ है। उक्त आराजी जमाबंदी समवत् 2074 से 2077 में पूर्व में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज थी। वादी का कथन है कि खसरा नम्बर 265 व 271 पर उसका कबजा है किन्तु विभाजन के समय उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी गयी। वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को सिद्व करने के लिये न्यायालय आदेश की प्रति जिसके द्वारा आराजी मुतनाजा का विभाजन हुआ है प्रस्तुत नही की है। उक्त इन्द्राज किस न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ है यह भी वादी ने स्पष्ट नही किया है। न्यायालय आदेश से उक्त इन्द्राज दर्ज होने के वाद वादी को न्यायालय आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये किन्तु उसके द्वारा अस्पष्ट तथ्यों व अपूर्ण दस्तावेज के साथ उक्त प्रकरण पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व वाद के कथनों से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादी ने खसरा नम्बर 263/1409 पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा है। किन्तु वाद पत्र के चरण संख्या 6 में अंकित वाद कारण में खसरा नम्बर 263/1409 पर कोई वाद कारण अंकित नही किया है साा ही खसरा नम्बर 263/1409 पर प्रतिवादीगण द्वारा दखलदांजी करना भी वादी साक्ष्य के अभाव में सिद्व नही कर पाया है।

उक्तानुसार ग्राम अंसरी के हाल खसरा नम्बर 265, 271 व 263/1409 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yad
Date: 2025.10.13 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इक्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौसर बनाम प्रेम

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –178/2024
पेश करने की दिनांक –28.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुदई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम अंसरी के हाल खसरा नम्बर 265, 271 व 263/1409 की आराजी पर वादी का वाद "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 9 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Y
Date: 2025.10.13 16:37:06 IS
Reason: SelfAttested